पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
सरदार पटेल नगर, पाली–मारवाड (राज)
टेलीफोन नं. 02932–280379, 280139
E-mail:- palidairy@gmail.com

" संघ में पानी आपूर्ति कार्य हेतु ई–निविदा "

भाग–'अ'

निविदा का नाम	पाली दुग्ध संघ में पानी आपूर्ति हेतु ई–निविदा।
निविदा सूचना	निविदा सूचना क्रमाकं .... दिनांक .... जो कि दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका, पाली डेयरी के मुख्य कार्यालय, इसकी सम्बद्व यूनिट फालना/जैतारण के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की गई। साथ ही राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in तथा आरसीडीएफ की वेबसाइट 'sarasmilkfed.rajasthan.gov.in' पर upload की गई।
निविदा खोलने का स्थान	पाली डेयरी मुख्यालय, पाली
अमानत राशि	रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार रूपये मात्र) जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payable at Pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
निविदा प्रपत्र शुल्क	रू 5000/– (रू0 पाचॅ हजार मात्र) जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payable at Pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
टेण्डर प्रोसेसिंग फीस	रू0 1000/– जो कि MD, RISL, Jaipur के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payable at Jaipur हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
संघ द्वारा निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक एवं समय	14.03.2023
निविदादाता द्वारा निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	15.03.2023 को प्रातः 10.00 बजे से
निविदा डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	04.04.2023 सायं 5.00 बजे तक
अमानत राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	03.04.2023 को सायं 3.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	06.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे से
वित्तिय निविदा खोलने की दिनांक व समय	संघ की सुविधानुसार उचित समय में
कार्य की अविध	02 वर्ष
अनुमानित लागत (दो वर्ष हेतु)	30.00 लाख
निविदा प्रकिया अवधि	90 दिवस

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील पूरा पता

<u>पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,सरदार पटेल नगर,पाली–मारवाड(राज0)</u>

<u>पानी आपूर्ति टेण्डर फार्म</u>

1. निविदादाता का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....
   ....
4. वाहन संख्या (टैंक्टर टंकी/टैंकर) ....
   ....
5. रजिस्ट्रेशन नम्बर : ....
6. मॉडल (वर्ष) 2012 : ....
7. वाहन क्षमता (न्यूनतम 20000 लीटर) : ....
8. वाहन का इन्शोरेन्स (प्रति संलग्न करें) : ....
9. वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें) :..
10. वाहन का परमीट (प्रति संलग्न करें) : ....
11. वाहन की पी0यू0सी (प्रति संलग्न करें) : ....
12. वाहन का रोड टैक्स (प्रति संलग्न करें) : ....
13. वाहन स्वामी का नाम : ....
14. पानी आपूर्ति कार्य का अनुबन्ध दो वर्ष का होगा।
15. आयकर प्रमाण पत्र व आयकर रिटर्न 03 वर्ष के संलग्न करने होगें।
16. मैनें/ हमने आप द्वारा निर्देशित सभी शर्तों को जो इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है, मानने को सहमत हूँ। निविदाशर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेने हस्ताक्षर कर दिये है। अमानत राशि व वाहन आर.सी. संलग्न नहीं करने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।
17. पानी का स्त्रोत (कुऑ/ट्येबवैल/अन्य) स्वयं का होना अथवा इनसे पानी आपूर्ति हेतु अनुबन्ध कर (एग्रीमेंट) की छाया प्रति व उपलब्ध करायें जानेवाले पानी की टैस्टींग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :–..

पूरा स्थाई पता :–...

....

मोबाईल नम्बर...

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,सरदार पटेल नगर,पाली–मारवाड(राज0)

पानी आपूर्ति की आवष्यक शर्ते

1. ठेकेदार को मीठे पानी की सप्लाई आवश्यकतानुसार समय पर करनी होगी।
मीठे पानी का अभिप्राय पीने योग्य पानी से है। अनुबन्धक द्वारा आपूर्ति किये जानेवाला पानी पीने योग्य होना आवश्यक है। इस पानी की स्वास्थ्य प्रयोगशाला जॉच में हार्डनेस (घुलनशील तत्व) 250 से 300 पी.पी.एम.से अधिक नहीं हो एवं इसका पी.एच. 6.5 से 8.5 हो। यानि पानी अम्लीय/क्षारीय श्रेणी का नहीं हो।
उपरोक्त गुणवत्तायुक्त मीठा पानी से अधिक हार्डनेस का पानी यदि सप्लायर द्वारा आपूर्ति किया जाता है तो डेयरी द्वारा स्वीकार नहीं कर ठेकेदार के बिल से जुर्माना राशि रू0 2000/– न्यूनतम वसूल की जावेगी।
2. यदि संघ की मांग अनुसार पानी की आपूर्ति नहीं की गई तो संघ अपने स्तर से स्थानीय बाजार से पानी की आपूर्ति करेगा एवं उसके दर अन्तर की राशि ठेकेदार के बिल से/धरोहर राशि से वसूल की जायेगी।
3. संघ द्वारा आवश्यकतानुसार ठेकेदार की अवधि तीन माह तक बढायी जा सकती है या एक माह के नोटिस पर ठेकेदार का ठेका निरस्त संघ स्तर से किया जा सकता है।
4. विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय प्रबन्ध संचालक का होगा,जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
5. राजकीय/श्रम नियमों/मोटर अधिनियम इत्यादि के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. सफल निविदाकर्ता को रू0 500/– का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरकर पेश करना होगा।
7. सफल निविदाकर्ता को रू0 30,000/– की बैंक गारंटी (30 माह हेतु) जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। व अनुबन्ध पत्र संघ कार्यालय में नोटेरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
8. आयकर व वाहन का टैंक्स,इन्श्योरेंस आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसका चालान प्रति वर्ष प्रस्तुत करना होगा।
9. सरकार द्वारा निजी जल स्त्रोत का अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में ठेकेदार को अपने स्तर पर अन्य व्यवस्था करनी होगी।
10. निविदादाता को पानी आपूर्ति करने के स्त्रोत कुऑ/ट्यूब वेल के स्वयं का होना अथवा अन्य स्त्रोतों से मीठा पानी आपूर्ति का एग्रीमेंट किया हुआ होना आवश्यक है।
11. ठेकेदार को दुग्ध सयंत्र की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप आवश्यक मात्रा में मीठा पानी की आपूर्ति के लिये जिला प्रशासन द्वारा शहर में पानी के टैंकर व भारी वाहनों के आवागमन के लिये निश्चित किये गये समय की व्यवस्था को देखते हुये अपने वाहनों से यह आपूर्ति समय पर किये जाने की व्यवस्था करनी होगी। यदि पानी का आपूर्ति समय पर

नहीं होने से डेयरी सयंत्र कार्य प्रभावित होता है तो इसके लिये निविदादाता को जिम्मेवार मानते हुए उसके विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

12. ठेकेदार को दुग्ध सयंत्र को आपूर्ति किये गये मीठे पानी के बिलों को पाक्षिक रूप से तैयार कर भुगतान व प्रभारी सयंत्र से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। आपूर्ति किये गये पानी के वाहनों के ट्रीप का इन्द्राज डेयरी मैनगेट व सयंत्र से प्रति ट्रीप कराना अनिवार्य होगा। भुगतान के लिये प्रस्तुत बिलों में वाहन /टैंकर क्षमता की वजन पर्ची वे–ब्रिज की संलग्न करनी होगी।

13. राज्य सरकार द्वारा डीजल की दरों में 5 प्रतिशत बढोतरी/कमी की जाने पर पानी स्त्रोत से डेयरी सयंत्र तक वाहन के प्रति ट्रीप 10 किलोमीटर मानते हुये पानी परिवहन वाहन के प्रकार एवं औसत डीजल खपत/ट्रीप पर संघ द्वारा बढोतरी/कमी की दर गणना कर ठेकेदार को दी जायेगी। जो कि 01 जनवरी व 01 जुलाई से देय होगी।

14– सफल निविदादाता को संघ की नोमिनल मेम्बरशीप हेतु संध का एक नोमिनल शेयर रू0 100/– संघ कार्यालय में जमा कराकर लेना होगा।

15– अनुबन्ध के दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो तो राजस्थान सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निपटारा किया जायेगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा।

16– ठेकेदार को संघ की आवश्यकता को देखते हुये प्रतिदिन औसतन 1.25 लाख से 1.50 लाख लीटर मीठे पानी की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित करनी होगी एवं आवश्यकतानुसार मात्रा बढाई/घटाई जा सकेगी।

17– पानी वितरण के लिये 20000 लीटर क्षमता का टैंकर मांग अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

18– निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं संचालक मण्डल सदस्यों का प्रथम डिग्री रिश्तेदार (माता–पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, अविवाहित पुत्री, सगा भाई व सगे भाई की पत्नी) नहीं होना चाहियें।

19– केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशानुसार केवल न्यनूतम दरें देने वाले निविदादाता से ही नगोसियेशन किया जावेगा। अतः न्यूनतम दर ही निगोसियेशन का आधार होगा। दर अधिक होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

20– RPP Act 2012 के अनुसार संलग्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होगें।

21– स्वीकृत निविदाकर्ता आवश्यक निविदा किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।

22– अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसे अपीलेण्ट एथोरिटी के समक्ष नियमानुसार उचित समय में प्रस्तुत किया जाये जिसका निस्तारण अपीलेण्ट एथोरिटी द्वारा किया जायेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर